



राज.म.एल.डब्ल्यू./एन.पी.890

साहसंस् नं० डब्ल्यू पी०-४१

साहसंस् द्वा पोस्ट एंड कन्संगनल रई

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 अगस्त, 1997

श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1244/सत्रद-वि-1--1 (क) 17/1997

लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

] उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने

के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के प्रद्वतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1997 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 27
सन् 1983 की
धारा 4 का
संशोधन

2--उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 की धारा 4 में,
संघाती (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

“(क) एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया
जायगा ; अध्यक्ष”

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल मथुर
प्रमुख सचिव।

No. 1244 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-17-1997

Dated Lucknow, August 16, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramin Aavash Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

THE UTTAR PRADESH RURAL HOUSING BOARD
(AMENDMENT) ACT, 1997

[U. P. ACT NO. 17 OF 1997]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Housing Board (Amendment) Act, 1997.

Amendment of
section 4 of U.P.
Act no. 27 of 1983

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983, in sub-section (1), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) One person to be nominated as Chairman by the State Government. Chairman”.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी ११२० ५० पी०-१० पी० 143 ता० विघा०--(१९९८)-१०९७--८५० (मेक०) ।

उत्
औ
कि

कहा

गया
विश्व
गोरख